

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय स०वि०स० से प्राप्त तारांकित
प्रश्न सं०-18/02/2421 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
<p>क्या मंत्री, जल संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p> <p>1. क्या यह बात सही है कि वैशाली जिलान्तर्गत राधोपुर प्रखंड के पंचायत बहरामपुर के जेठुली घाट, जहांगीरपुर के परोहा, चकसिंगार के रामपुर, लंका टोला, जफराबाद के जफराबाद, करमोपुर सहित अनेक स्थलों पर प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाले कटावों से रक्षा हेतु कई योजनाएं बनायी गयी परंतु इसका कार्यान्वयन विभिन्न कारणों से वर्षों तक लंबित रखा जा रहा है; यदि हां, तो सरकार कबतक राधोपुर प्रखंड के लोगों को बाढ़ तथा कटाव से राहत देने का विचार रखती है, नहीं तो क्यों ?</p>	<p>वस्तुस्थिति यह है, कि वैशाली जिलान्तर्गत राधोपुर प्रखण्ड के पंचायत बहरामपुर के जेठुली घाट, जहांगीरपुर के परोहा, चकसिंगार के रामपुर, लंका टोला, जफराबाद के जफराबाद, कर्मोपुर स्थल गंगा नदी की दो धारों के बीच अवस्थित है।</p> <p>बाढ़ अवधि में गंगा नदी के जलस्तर एवं जलश्राव में अत्यधिक वृद्धि होने पर नीचले इलाके में बाढ़ के पानी का फैलाव होता है। पुनः जलस्तर घटने पर पानी स्वतः नदी में चला जाता है। जलस्तर बढ़ने एवं घटने के फलस्वरूप नदी के किनारे का क्षरण होता है। गंगा नदी से प्रभावित स्थलों पर विगत वर्षों में कटाव निरोधक कार्य करा कर विभिन्न स्थलों यथा रामपुर, जेठुली घाट, जफराबाद, कर्मोपुर एवं परोहा को सुरक्षित किया गया है।</p> <p>बाढ़ अवधि 2025 में भी राधोपुर प्रखंड के पंचायत बहरामपुर के जेठुली घाट, चकसिंगार के रामपुर, लंका टोला आदि स्थलों पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थलों को सुरक्षित रखा गया।</p> <p>बाढ़ अवधि में कटाव परिलक्षित होने पर आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित रखा जाएगा।</p>

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(मुज0)-05-86/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव (प्रश्न विविध), बिहार विधान सभा सचिवालय, बिहार, पटना को अष्टादश बिहार विधान सभा के द्वितीय सत्र के लिये प्राप्त तारांकित प्रश्न सं0-18/2/2421 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(मुज0)-05-86/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(मुज0)-05-86/2026-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि- प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-25/वि0स0प्र0(मुज0)-05-86/2026-

143)

पटना, दिनांक- 25/03/2026

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Anil Kumar Gupta
25.03.26

(अनिल कुमार गुप्ता)

संयुक्त सचिव

Anil Kumar Gupta
25.03.26